

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 4-167 प्र030/सिं0वि0/का0-2/ई-15/स्था0

दिनांक 08 जून 2018

— कार्यालय ज्ञाप —

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसन्धितीय अधिकारी में कार्यस्त निम्नलिखित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में अंकित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र०	नाम/जन्मतिथि/ सं०	कार्यस्त कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा	हेतु प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री वीरेन्द्र दत्त/ 12.09.58 /टिहरी	पी०ए०म०जी०ए०वाई० सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी (हरिद्वार)	नलकूप खण्ड, बहादराबाद	धारा-13(6)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे—

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीका किये बिना कार्यालय ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपरोक्त कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बंधियों से प्रत्यावेदन प्रेपित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव ड़लवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में तिनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन०के० शमा

मुख्य अभियन्ता(यांत्रिक)

संख्या : 4167
/प्र030/कार्मिक-2/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-।/स्तर-।।, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- दिवारी पोर्टल/वैवराइट पर अपलोड हेतु।
- वैयक्तिक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेपित।
- कट फाईल हेतु।

(मोहन चन्द्र प्रणदेव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुसार-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

दिनांक 08 जून 2018

पत्रांक ४-१६० प्र०३०/सिंच०/का०-२/ई-१५/स्था०

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक रोपकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसंचीय अधिकान में कार्यरत निम्नलिखित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में अंकित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा स्थायं के अनुरोध पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र०	नाम/जन्मतिथि/ सं०	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा	हेतु अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री अनिल चन्द्र नैथानी /03.02.62 /पौड़ी	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	धारा-13(6)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्ययुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा बेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमत्य कार्यभार ग्रहण अधिकारी का उपमोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश रखीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावधी में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रतिष्ठित में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलावने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन०के० शर्मा

मुख्य अभियन्ता(यांत्रिक)

संख्या : ४-१६०/प्र०३०/कार्मिक-२/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-१/स्तर-११, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषधारी।
- विभागीय पोर्टल/वैवराईट पर अपलोड हेतु।
- वैयक्तिक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- कट फाईल हेतु।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-२)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुगम-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

(3)

पंजाक-4169 प्र030/सिंच0/का0-2/ई-15/स्था0

दिनांक 08 जून 2018

— कार्यालय ज्ञाप —

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसंधीवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के समुख अंकित कालम-3 में अंकित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा स्वर्ण के अनुरोध पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	नाम/जन्मतिथि/ गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा	हेतु अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री कुन्दन लाल/ 07.10.59 /टिहरी	पी0एम0जी0एस0वाइ0 सिंचाई खण्ड, जाखोली	पी0एम0जी0एस0वाइ0 सिंचाई खण्ड-2, नई टिहरी	धारा-13(6)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीका किये बिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समस्य कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।


एन0के0 शर्मा

मुख्य अभियन्ता(यात्रिक)

4169
संख्या : /प्र030/ कार्मिक-2/ तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-।/स्तर-।।, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- विभागी पोर्टल/वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
- वैयक्तिक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- कट फाईल हेतु।


(मोहन चन्द्र फड्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

(4)

पत्रांक १२० प्र०अ०/सिंच०/का०-२/ई-१५/स्था०

दिनांक ०८ जून २०१८

कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसंधियीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-३ में अंकित कार्यालय से कालम-४ में अंकित कार्यालय में एतद्वारा स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क० सं०	नाम/जन्मतिथि/ गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
१	२	३	४	५	६
१	श्री यशपाल सिंह नंगी / 14.09.58 / पौड़ी	नलकूप खण्ड, बाजपुर	पी०एम०जी०एस०वाइ०० सिंचाई खण्ड, कोटद्वार	धारा-१३(६)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्थीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यवितरण पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किसी उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन०क०० शर्मा
मुख्य अभियन्ता(यांत्रिक)

संख्या : ४१७० प्र०अ०/कार्मिक-२/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-१/स्तर-१, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- विभागीय पोर्टल/वैदेशीक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- वैयक्तिक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- कट फाईल हेतु।

(मोहन चूड़ा पाण्डे)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-२)
कृते प्रमुख अभियन्ता